

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी-रमेश देव आर.ए.एस.

करण संख्या-290 / 2022
दावा 48, 49, 88 आर.टी.ए.

1-देवपाल पुत्र सुलतानराम 2-मथूरादेवी पत्नी देवपाल जाति जाट साकिनान रतनपुरा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ(राजस्थान)

.....वादीगण

बनाम

1-जोतराम 2-शंकरलाल पुत्रगण खुमानाराम 3-जगदीश पुत्र मनफूल 4-रामकुमार पुत्र मनफूल जाति
छिम्पा साकिनान रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान) 5-बैंक ऑफ बडोदा शाखा
संगरिया जरिए मैनेजर 6-एस.बी.आई. शाखा संगरिया जरिए मैनेजर 7-तहसीलदार राजस्व संगरिया।
.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1-ओम प्रकाश शर्मा वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक :-

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अनतगर्त धारा 48,49,88 राजस्थान काश्तकारी अधि
नियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण के नाम से तहसील संगरिया के चक नम्बर 1 एम.
एम.के. खाता संख्या 77 / 48 कुल 4.8070 है0 तथा प्रतिवादीगण के नाम से इसी चक नम्बर 1 एम.एम.
के. खाता संख्या 42 / 30 कुल 4.048 है0 नहरी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में है। उक्त
चकों की नकल जमाबन्दियां सलग्न दावा है जिनका पूर्ण विवरण दावा में दर्ज किया गया है। वादीगण
का प्रतिवादीगण से अर्सा पूर्व से 0.506 है का 0.506 है0 से परस्पर तबादला रहा है तबादला अनुसार यानि
प0न0 171 / 193 मु0न0 8 के किला न0 19-20 / 0.506 है0 भूमि वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से
4 को दे रखी है तथा प्रतिफल स्वरूप प्रति0 से प0न0 171 / 193 मु0न0 8 के कि0न0 16 / 1 / 0.228,
16 / 2 / 0.025 17 / 0.253 कुल 0.506 है0 प्राप्त कर रखी हैं। इसी अनुसार वादीगण की कब्जा काश्त
में निम्न प्रकार से भूमि है :-

(क) वादी सं. 1-देवपाल पुत्र सुलतानराम, 2-मथूरादेवी पत्नी देवपाल जाति जाट साकिनान
रतनपुरा की बहिब0 कब्जा काश्त की भूमि

चक नं. 1 एम.एम.के.

पत्थर नं.	मु. नं.	किला नम्बर
170 / 194	11	4-5-6-7-15 / 1.265
171 / 193	8	16 / 1 / 0.228, 16 / 2 / 0.025 17 / 0.253 18 / 0.253, 21 से 24 / 1.012, 25 / 1 / 0.228, 25 / 2 / 0.025
171 / 194	12	1-2-9-10-11-12 / 1.518 नहरी-4.757 गै0मु0-0.050 योग खाता 4.807 है0

(ख) प्रतिवादीगण सं. 1-जोतराम पुत्र खुमानाराम 1/3 हि. 2-शंकरलाल पुत्र खुमानाराम
1/3 हि. 3-जगदीश पुत्र मनफूल 1/6 हि. 4-रामकुमार पुत्र मनफूल 1/6 हि. जाति छिम्पा

क्रमशः.....2

29/11
महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

भूमि साकिनान रतनपुरा की कब्जा काश्त की भूमि
चक नं. 1 एम.एम.के.

पत्थर नं.	मु. नं.	किला नम्बर
171/193	8	1 से 4, 6 से 15, 19-20/4.048

नहरी-3898 गै0मु0-0.150 योग खाता 4.048 है0


वादीगण मुताबिक तबादला एवं अपनी कब्जा काश्त की भूमि पर बिना किसी बाधा के काश्त करते आ रहे हैं लेकिन तबादला एवं कब्जा काश्त अनुसार भूमि दर्ज नहीं होने से हम वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है वादीगण मुताबिक तबादला चक नं. 1 एम.एम.के. खाता संख्या 42/30 प0न0 171/193 मु0न0 8 के किला न0 16/1/0.228, 16/2/0.025 17/0.253 कुल 0.506 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का 0.506 है0 भूमि कम की जाकर वादीगण के नाम दर्ज करे प्रतिफल स्वरूप वादीगण के खाता संख्या 77/48 में प0न0 171/193 मु0न0 8 के किला न0 19-20/0.506 है0 भूमि कम करके प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के नाम अंकित कराने के वादीगण अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण मुताबिक तबादला एवं अपनी कब्जा काश्त की भूमि पर बिना किसी बाधा के काश्त करते आ रहे हैं लेकिन तबादला एवं कब्जा काश्त अनुसार भूमि दर्ज नहीं होने से हम वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है इस बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को पिछले सप्ताह निवेदन किया कि वे अपनी अपनी कब्जा काश्त अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामंद करा लेवे तो प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 आज कल आज कल करवाने का कहते रहे अन्त में ऐसा करने से पिछले सप्ताह कतई तौर पर इन्कार कर दिया। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर दावा पेश होने पर व सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। मुकर्र तारीख 1.07.2022 पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के मध्य राजीनामा तहरीर व तकमील होकर प्रस्तुत हुआ जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। जबाब स्टेट में राज पैरोकार ने जबाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दावा में राजीनामा पेश होने से तनकी कायम नहीं की गई। साक्ष्य वादी संख्या 2 मथूरादेवी ने अपना शपथ पत्र आ.18 नि.4 सी.पी.सी. के तहत पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दीया प्रदृशित कराई गई। बहस सुनी गई जिसमें वादी वकील ने मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बहस वकील वादी सुनने के बाद व पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें जमाबन्दी में भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज है दावा में राजीनामा पेश होने से किसी प्रकार का विरोध नहीं होने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

वाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। कि वादीगण मुताबिक राजीनामा चक नं. 1 एम.एम.के. खाता संख्या 42/30 में प0न0 171/193 मु0न0 8 के किला न0 16/1/0.228, 16/2/0.025 17/0.253 कुल 0.506 है0 के बहिब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं उक्त खाता से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का 0.506 है0

क्रमशः.....3


29/8
महामुक्त कानून
सुप्रीम अफिसर
सगरिया

भूमि कम की जाकर वादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं इसी अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 मुताबिक राजीनामा चक नं. 1 एम.एम.के. खाता संख्या 77/48 में प0न0 171/193 मुरब्बा न0 8 के किला नम्बर 19-20/0.506 है0 भूमि के प्रतिवादीगण संख्या 1-जोतराम पुत्र खुमानाराम 1/3 हि. 2-शंकरलाल पुत्र खुमानाराम 1/3 हि. 3-जगदीश पुत्र मनफूल 1/6 हि. 4-रामकुमार पुत्र मनफूल 1/6 हि. अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं उक्त खाता से भूमि वादीगण के हिरसा में से 0.506 है0 भूमि कम करके प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं, जिसका अंकन निम्नानुसार किया जावे।

(क) वादी सं. 1-देवपाल पुत्र सुलतानराम, 2-मथूरादेवी पत्नी देवपाल जाति जाट साकिनान रतनपुरा की बहिब0 कब्जा काश्त की भूमि

चक नं. 1 एम.एम.के. खाता संख्या 42/30

पत्थर नं. मु. नं. किला नम्बर

171/193 8 16/1/0.228, 16/2/0.025 17/0.253

नहरी-0.481 गै0मु0-0.025 योग खाता 0.506 है0

(ख) प्रतिवादीगण सं. 1-जोतराम पुत्र खुमानाराम 1/3 हि. 2-शंकरलाल पुत्र खुमानाराम 1/3 हि. 3-जगदीश पुत्र मनफूल 1/6 हि. 4-रामकुमार पुत्र मनफूल 1/6 हि. जाति छिम्पा साकिनान रतनपुरा की कब्जा काश्त की भूमि


चक नं. 1 एम.एम.के. खाता संख्या 77/48

पत्थर नं. मु. नं. किला नम्बर

171/193 8 19-20/0.506

कुल 0.506 है0 नहरी मय गै0मु0

अतः पर्चा डिकरी जारी हो तथा पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर होवे। बैंक ऋण यथावत रखा जाकर पक्षकारान का निर्णय अनुसार अमल दरामंद कर दिया जावे। यह निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रमेश देव)

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
संगरिया

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 सी.पी.सी.)

न्यायालय-सहायक कलैक्टर, संगरिया

पीठासीन अधिकारी- रमेश देव (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या- 290 / 2022 दावा 48, 49, 88 आर.टी.ए.

1-देवपाल पुत्र सुलतानराम 2-मथूरादेवी पत्नी देवपाल जाति जाट साकिनान रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राजस्थान)

.....वादीगण

बनाम

1-जोतराम 2-शंकरलाल पुत्रगण खुमानाराम 3-जगदीश पुत्र मनफूल 4-रामकुमार पुत्र मनफूल जाति छिम्पा साकिनान रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान) 5-बैंक ऑफ बडोदा शाखा संगरिया जरिए मैनेजर 6-एस.बी.आई. शाखा संगरिया जरिए मैनेजर 7-तहसीलदार राजस्व संगरिया।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा जरिये भूमि तबादला

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी श्री ओम प्रकाश शर्मा एडवोकेट वकील वादीगण मिन जानिब प्रतिवादी स्वयं पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण मुताबिक राजीनामा चक नं. 1 एम.एम.के. खाता संख्या 42/30 में प0न0 171/193 मु0न0 8 के किला न0 16/1/0.228, 16/2/0.025 17/ 0.253 कुल 0.506 है0 के बहिब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है उक्त खाता से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का 0.506 है0 भूमि कम की जाकर वादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 मुताबिक राजीनामा चक नं. 1 एम.एम.के. खाता संख्या 77/48 में प0न0 171/193 मु0न0 8 के किला नम्बर 19-20/0.506 है0 भूमि के प्रतिवादीगण संख्या 1-जोतराम पुत्र खुमानाराम 1/3 हि. 2-शंकरलाल पुत्र खुमानाराम 1/3 हि. 3-जगदीश पुत्र मनफूल 1/6 हि. 4-रामकुमार पुत्र मनफूल 1/6 हि. अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है उक्त खाता से भूमि वादीगण के हिस्सा में से 0.506 है0 भूमि कम करके प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है, जिसका अंकन निम्नानुसार किया जावे।

(क) वादी सं. 1-देवपाल पुत्र सुलतानराम, 2-मथूरादेवी पत्नी देवपाल जाति जाट साकिनान रतनपुरा की

बहिब0 कब्जा काश्त की भूमि

चक नं. 1 एम.एम.के. खाता संख्या 42/30

पत्थर नं. 171/193 मु. नं. किला नम्बर 8 16/1/0.228, 16/2/0.025 17/ 0.253 नहरी-0.481 गै0मु0-0.025 योग खाता 0.506 है0

क्रमशः.....2

29/11
महायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

-2-

(ख) प्रतिवादीगण सं. 1-जोतराम पुत्र खुमानाराम 1/3 हि. 2-शंकरलाल पुत्र खुमानाराम 1/3 हि.
3-जगदीश पुत्र मनफूल 1/6 हि. 4-रामकुमार पुत्र मनफूल 1/6 हि. जाति छिम्पा साकिनान रतनपुरा
की कब्जा काश्त की भूमि

चक नं. 1 एम.एम.के. खाता संख्या 77/48

पत्थर नं. मु. नं. किला नम्बर

171/193 8 19-20/0506

कुल 0.506 है० नहरी मय गै०मु०

पक्षकारान का बैंक ऋण यथावत् रखा जाकर परस्पर उक्त भूमि का डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामंद कर दिया जावे।

बसब्त मैरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29.09.22 को जारी किया गया



(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया